

सीपीएसईज़ द्वारा अधिशेष रोकड़ का प्रबंधन

7.1 प्रस्तावना

केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसईज़) का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। 1991 के बाद से, देश में आर्थिक सुधारों के कारण भारत में सीपीएसईज़ ने निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार के साथ ही साथ कारबार में भी स्थाई विकास दर्ज किया है। 31 मार्च 2012 के अनुसार 481 सीपीएसईज़ (338 सरकारी कम्पनियाँ; 138 डीम्ड सरकारी कम्पनियाँ; तथा 6 सांविधिक निगम) थे। 399 कार्यशील सीपीएसईज़* के विषय में वर्ष 2011-12 की वित्तीय स्थिति निम्नत है:

(₹ करोड़ में)

प्रदत्त पूंजी	रिजर्व तथा आधिक्य	टर्नओवर	पीबीटी	पीएटी ⁺
2,70,095	8,09,797	18,51,956	1,67,604	1,09,274

टिप्पणी:- पीबीटी: कर पूर्व लाभ; पीएटी: कर उपरान्त लाभ;

2011-12 में सीपीएसईज़ का जीडीपी का अंशदान ₹ 271,448 करोड़ (पीबीटी: ₹ 1,67,604 करोड़ जमा श्रमशक्ति लागत ₹ 1,03,844 करोड़) था जोकि 2011-12 में ₹ 88,55,797 करोड़ की कुल जीडीपी का 3.07 प्रतिशत था। अतः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सीपीएसईज़ महत्वपूर्ण शक्ति है।

लाभांश सरकार को सीपीएसईज़ में अपनी इक्विटी के लिए प्राप्त हुई आय है तथा उसके लिए राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्ष 2011-12 के लिए, सीपीएसईज़ ने ₹ 43,388 करोड़ के लाभांश की घोषणा की जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा ₹ 27,631 करोड़ का बना।

2007-08 तथा 2010-11 के दौरान सीपीएसईज़ में नकदी के प्रवाह की प्रवृत्ति निम्नवत थी:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सीपीएसईज़ की संख्या	कार्यशील सीपीएसईज़ की संख्या	कार्यशील सीपीएसईज़ में शेष नकदी
2007-08	419	366	2,67,954
2008-09	438	392	2,95,726
2009-10	451	404	3,04,630
2010-11	466	406	3,11,371

* 82 सीपीएसईज़ के मामले में खाते बकाया है वि.व. 2011-12 के लिए खाते देय नहीं हैं।

⁺ दिखाया गया कर उपरान्त लाभ (पीएटी) सीपीएसईज़ी द्वारा वहन की गई निवल हानि है।

7.1.1 विषय के चयन हेतु औचित्य

सीपीएसईज के पास बढ़ती नगदी शेष की मात्रा से यह आभास मिलता है कि सीपीएसईज अपने हितधारकों (मुख्यतया भारत सरकार (जीओआई)) का पर्याप्त रूप से वापिस कमाई करके (लाभांशों के रूप में) नहीं दे रहे तथा उनके पास इस नकदी के प्रभावी उपयोग के लिए पर्याप्त योजनाएँ/अवसर नहीं हैं। जबकि ये सीपीएसईज अपने नकदी बैंक में जमा करवा रहे हैं उनकी प्रमुख हितधारक भारत सरकार बाजार से कर्ज ले रही है। इन हालातों में हमें इस बात की जांच करने की जरूरत हुई कि क्या सीपीएसईज लाभांश पर्याप्त रूप से संवितरित कर रहे हैं तथा क्या उनके पास अपनी नकदी का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए योजनाएँ हैं।

7.1.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

इस लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नवत थे:

- यह सुनिश्चित किया जाए कि क्या सीपीएसईज की लाभांश संवितरण करने की नीति सार्वजनिक उपक्रमों के ब्यूरो (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुरूप है तथा क्या निवेशकों को समुचित रूप से पुरस्कार दिया जाता है;
- यह सुनिश्चित किया जाए कि क्या सीपीएसईज ने फालतू नकदी के उपयोग के लिए योजनाएं बनाई;
- यह सुनिश्चित किया जाए कि क्या सीपीएसईज ने फालतू नकदी के लिए कोई निवेश योजना बनाई है और यदि है तो क्या यह सुरक्षा, सरल प्रवाह तथा लाभप्रदयता के विषयों को समुचित रूप से निपटाती है; तथा
- विशाल नकदी रिजर्वस पर निदेशक मंडल तथा मंत्रालय द्वारा किए गए संज्ञान तथा उस पर की गई कार्यवाही पर टिप्पणी करना।

7.1.3 लेखापरीक्षा के मापदंड तथा लेखापरीक्षा का कार्यपद्धति

लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के आंकलन हेतु लेखापरीक्षा द्वारा अपनाए गए लेखापरीक्षा मापदंड निम्नवत थे:

- डीपीई/मंत्रालय के दिशानिर्देश/निर्देश;
- नकदी के उपयोग की योजनाएं; तथा
- सीपीएसईज के निर्णय।

लेखापरीक्षा मापदंडों के सन्दर्भ में लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपनाई गई कार्यपद्धति में संबन्धित अभिलेखों की जांच, उनके विश्लेषण एवं सीपीएसईज के अधिकारियों से वार्ता करना शामिल है।

7.1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा में 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक पांच वर्षों की अवधि को शामिल किया गया। ₹ 1,77,862 करोड़ के कुल नकद शेष वाले 31 सीपीएसईज वाले नमूने का चयन किया गया था। नमूना चुनने की प्रक्रिया के विवरण निम्नवत हैं:

विषय	सीपीएसईज़ की संख्या	नकदी व बैंक में जमा शेष (31 मार्च 2011 के अनुसार)
कुल नकद एवं बैंक में शेष	406	₹ 3,11,371 करोड़
घटाए: डिफेंस सीपीएसईज़ का नकद तथा बैंक शेष	11	₹ 36,312 करोड़
बाकी सीपीएसईज़ का नकद व बैंक में शेष जमा	395	₹ 2,75,059 करोड़ (100%)
उपरोक्त 395 सीपीएसईज़ में से ₹ 1000 करोड़ से अधिक नकद व बैंक में जमा शेष वाले सीपीएसईज़	47	
47 सीपीएसईज़ में से ₹ 1000 करोड़ से अधिक निवल नकद शेष* वाले सीपीएसईज़ अर्थात् जमा शेष में से ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम घटाकर	40	
वित्त/बीमा से संबंधित सीपीएसईज़ को शामिल न करके तैयार नमूना	34	₹ 1,88,185 करोड़
जमा:- रिजर्वस तथा अधिक्त्य, उनके प्रदत्त पूंजी के तिगुणे तथा ₹ 500 करोड़ से अधिक का लाभ कमाने वाले सीपीएसईज़ (बीमा तथा वित्तीय सीपीएसईज़ के अतिरिक्त)	4	₹ 2,879 करोड़
जोड़	38	₹ 1,90,954 करोड़ (69%)
चयनित नमूना	31	₹ 1,77,862 करोड़ (65%)

समीक्षा क्षेत्र में डिफेंस के सीपीएसईज़ को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि बहुत बड़े नकदी शेष विभिन्न आदेशों के प्रति सेना/ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों के हैं। इस प्रकार यह परिचालनों से अर्जित फालतू नकदी नहीं है।

वित्त एवं बीमा क्षेत्र से संबंधित सीपीएसईज़ को भी शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इन कम्पनियों को अपने रोजमर्रा के कामों तथा अचानक आए खर्चों के लिए बहुत सी नकदी शेषों की आवश्यकता होती है।

38 सीपीएसईज़ी में से निम्नलिखित सात सीपीएसईज़ आगे दिए गए कारणों के चलते शामिल नहीं किए गए हैं:

- क्योंकि ये कम्पनियाँ या तो अपने प्रचालन के प्रारंभिक वर्षों में है अथवा परियोजना निष्पादनाधीन है इसलिए दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड तथा चेन्नई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड शामिल नहीं किए गए हैं।

* निवल नकद शेष का आशय हाथ में जमा नकद और बैंक में नकदी में से ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम को घटाकर शेष से है।

- बिजली क्षेत्र को वित्त पोषित करने के लिए समर्पित तथा बिजली एवं संबन्धित क्षेत्रों के समुचित विकास हेतु वचनबद्ध पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड वित्तीय कम्पनियों की प्रवृत्ति की हैं उनके कार्यपरिचालन के प्रवृत्ति बहुत अधिक नकद शेष रखने तथा काम में लाने की है।
- भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड विदेश व्यापार नीति के अधीन बुलियन के आयात हेतु नामित एजेंसियों में से एक है तथा कम्पनी की नकदी बुलियन व्यापार के तहत बहुमूल्य धातु के आयात हेतु विदेशी वाणिज्यिक उधारियों के प्रति ग्राहकों से प्राप्त धन का अंश होती है।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव तथा प्रबंध का उत्तर दायी है। परियोजना के कार्यान्वयन हेतु प्राधिकरण सरकारी अनुदानों, उधारियों तथा बाह्य सहायता पर निर्भर है तथा इसीलिए बैलेन्स शीट में प्रस्तुत नकदी शेष फालतू जमा में से नहीं है।
- भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत है तथा अपने सदस्यों को किसी प्रकार के लाभांश अथवा बोनस के भुगतान की मनाही करता है तथा अपने लाभ यदि कोई हो तो अथवा अन्य आय को अपने उद्देश्यों के संवर्धन में लगाना चाहता है। क्योंकि यह एक गैर-लाभकारी संगठन है इसे इस समीक्षा के क्षेत्र के बाहर रखा गया है।

बाकी 31 सीपीएसईज 2007-08 से 2011-12 तक के पांच वर्षों की अवधि वाली लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए हमारे अन्तिम नमूने (परिशिष्ट - XIV) के भाग हैं। 31 मार्च 2012 को इन 31 सीपीएसईज के प्रमुख वित्तीय विवरण निम्नवत हैं:

(₹ करोड़ में)

प्रदत्त पूंजी	रिजर्वस तथा आधिक्य	टर्नओवर	पीबीटी	पीएटी	नकद व बैंक में शेष
78,064	4,28,548	4,99,875	1,26,037	89,793	1,75,332

7.1.5 आभार

इस लेखापरीक्षा के विभिन्न चरणों पर विभिन्न सीपीएसईज के प्रबंधकों द्वारा प्रदत्त सहयोग हेतु लेखापरीक्षा विभाग आभार व्यक्त करता है।

7.2 लाभांश* भुगतान तथा बोनस शेयर

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विभाग (डीपीई) सीपीएसईज को नीति एवं समग्र दिशानिर्देश देने हेतु उत्तरदायी है। डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देश परामर्शी प्रवृत्ति के हैं तथा सीपीएसईज के निदेशक मंडल लिखित में कारण देकर इन दिशानिर्देशों को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। डीपीई ने अक्टूबर

* किसी कम्पनी द्वारा उसके लाभों (अथवा रिजर्वस) में से अपने हितधारकों को निर्यात (सामान्यतया वार्षिक) रूप से अदा की गई राशि लाभांश है

2004 में दिशानिर्देश[#] जारी किए थे जिनके अनुसार यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि "सभी लाभ कमा रही सीपीएसईज इक्विटी का न्यूनतम 20 प्रतिशत का लाभांश अथवा कर उपरान्त लाभों के 20 प्रतिशत का न्यूनतम लाभांश पेआउट जो भी अधिक हो घोषित करें। तेल, पेट्रोलियम, कैमिकल तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं के सीपीएसईज के बारे में न्यूनतम लाभांश पेआउट कर उपरान्त लाभों का 30 प्रतिशत का होगा"।

7.2.1 लाभांश का भुगतान

नमूने के रूप में चुने गए सीपीएसईज में से किसी के पास उसकी अपनी विशिष्ट लाभांश नीति नहीं थी। उन्हें इस सम्बन्ध में⁺ डीपीई द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों का अनुसरण करना था। कोल इन्डिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियों सभी पांच सीपीएसईज को कोल इन्डिया ने पीएटी का 60 प्रतिशत न्यूनतम लाभांश देने का निदेश दिया।

1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 की अवधि के लिए 30 सीपीएसईज द्वारा प्रदत्त लाभांश के विवरण नीचे दिए गए हैं।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	इक्विटी*	पीएटी*	वास्तव में प्रदत्त लाभांश	लाभांश पेआउट अनुपात (डीपीआर)
	(क)	(ख)	(ग)	(ग)/(ख) *100
2007-08	66,627	61,962	21,948	35
2008-09	67,521	62,601	21,329	34
2009-10	68,805	66,488	24,096	36
2010-11	72,130	76,134	26,537	35
2011-12	72,160	89,793	34,500	38

टिप्पणी:- डीपीआर लाभांश के रूप में प्रदत्त पीएटी की प्रतिशतता का सूचक है।

*नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन के विवरण शामिल नहीं किए गए हैं क्योंकि कम्पनी लगातार घाटा उठा रही है तथा इसलिए लाभांश के भुगतान हेतु दायी नहीं है।

हमने देखा कि कोल इन्डिया लिमिटेड (सीआईएल) जोकि खनन के कार्य में है तथा अपनी आय प्राकृतिक प्रदार्थ (कोयला) की बिक्री से प्राप्त करती है, भारत सरकार/शेयर होल्डरों को पीएटी के 47 से 81 प्रतिशत का लाभांश लगातार देती रही है। इसके अतिरिक्त इसने अपनी सभी सहायक कम्पनियों को वर्ष 2007-08 से उनके पीएटी के 60 प्रतिशत की दर से लाभांश का भुगतान करने का निदेश दिया। सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को छोड़कर इसकी सभी सहायक कम्पनियों में पीएटी के 60 प्रतिशत का लाभांश के रूप में भुगतान किया। हालांकि दूसरे सीपीएसई एनएमडीसी लिमिटेड (एनएमडीसी) जोकि खनन में ही कार्यरत है तथा अपनी आय प्राकृतिक पदार्थ (लौह अयस्क) की बिक्री से ही प्राप्त करती है ने पीएटी के केवल 20 से 25 प्रतिशत के लाभांश का

[#] डीपीई का का.ज्ञा.सं.15 (10)/2004 डीपीई (जीएम) दिनांक 18 अक्टूबर 2004

⁺ न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) जिसे भारत सरकार ने डीपीई के दिशानिर्देश लागू करने से छूट दे रखी है के अतिरिक्त वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने परमाणु ऊर्जा विभाग को एनपीसीआईएल के मामले में 30 प्रतिशत की दर से लाभांश के भुगतान का निदेश दिया (मार्च 2006)।

2013 की प्रतिवेदन संख्या 2

भुगतान किया। नीचे दी गई तालिका मार्च 2012 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान कोल इन्डिया लिमिटेड तथा एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा प्रदत्त पीएटी तथा लाभांश दर्शाती है।

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
	पीएटी	डीपी	%	पीएटी	डीपी	%	पीएटी	डीपी	%	पीएटी	डीपी	%	पीएटी	डीपी	%
सीआईएल	2,454	1,995	81	3,295	1,705	52	3,780	2,210	58	4,696	2,209	47	8,065	6,245	77
एमएमडीसी	3,251	652	20	4,372	876	20	3,447	694	20	6,499	1,308	20	7,265	1,784	25

डी.पी.-प्रदत्त लाभांश

हालांकि समग्र रूप से इन 30 सीपीएसईज ने बेहतर लाभांश पेआउट अनुपात दर्शाया है, व्यक्तिगत रूप में सात सीपीएसईज ने डीपीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम लाभांश (तेल/आधारभूत सुविधा वाली कम्पनियों के लिए पीएटी का 30 प्रतिशत तथा अन्यो के लिए 20 प्रतिशत) तक नहीं दिया। हमने देखा कि:

गेल (इन्डिया) लिमिटेड ने 2010-11 में न्यूनतम लाभांश के भुगतान में यह कहते हुए चूक की कि चालू परियोजनाओं में निवेश कम्पनी की विशेष पूंजीगत योजना है। लाभांश के भुगतान में आई कमी ₹ 117.30 करोड़ की थी।

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान एनएचडीसी ने न्यूनतम लाभांश भुगतान में चूक की। 2008-12 के दौरान लाभांश के भुगतान में हुई कमी ₹ 275.56 करोड़ की थी।

मार्च 2012 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान उड़ीसा मिनरलस डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड ने 20 प्रतिशत के बजाए पीएटी के 15 प्रतिशत के लाभांश का भुगतान किया जिसके फलस्वरूप पांच वर्षों के लिए ₹ 20.79 करोड़ तक के लाभांश का भुगतान हुआ।

ओएनजीसी के पूर्ण अधिकाराधीन सहायक कम्पनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने कोई लाभांश नहीं दिया तथा लाभों को नई/चल रही परियोजनाओं के लिए लगाती रही। 2007-12 के दौरान लाभांश में ₹ 2,244.53 करोड़ की कमी हुई। कम्पनी के ₹ 6,223 करोड़ तक के पूंजीगत निर्माण चल रहे हैं।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने 2007-08 के दौरान लाभांश का भुगतान नहीं किया तथा बाकी वर्षों में न्यूनतम सीमाओं से कम के लाभांश का भुगतान किया। इससे ₹ 742.77 करोड़ तक का भुगतान कम हुआ। प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2012) कि दीर्घकालिक विकास योजना तथा विद्यमान संयंत्र एवं कलपुर्जों के आधुनिकीकरण एवं सुधार हेतु पैसे की आवश्यकता के मद्देनजर लाभांश कम दिया गया था।

वर्ष 2008-09 के लिए स्टील आथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड ने ₹ 160 करोड़ तक का लाभांश कम देने की चूक की। हालांकि इसने बाद के वर्षों के लिए डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया।

मैंगलौर रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने हालांकि लाभांश का भुगतान किया परन्तु किए गए भुगतान का अनुपात डीपीई के दिशानिर्देशों में निर्धारित 30 प्रतिशत से कम था जिससे लाभांश के भुगतान में ₹ 682.13 करोड़ तक की कमी आई। प्रबंधन ने बताया कि आगामी परियोजनाओं के लिए आवश्यक पैसे को ध्यान में रखते हुए लाभांश की सिफारिश की गई थी।

यदि सभी सातों सीपीएसईज ने डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश का भुगतान किया होता, 2007-12 के दौरान सरकार तथा अन्य शेयरहोल्डर्स ने ₹ 4243.08 करोड़ के अतिरिक्त लाभांश का भुगतान प्राप्त किया होता।

पैराग्राफ 7.2 में वर्णित डीपीई के दिशानिर्देशों में निर्धारित हैं कि सभी लाभ कमाने वाली सीपीएसईज (क) पीएटी के 20 प्रतिशत (तेल/मूलभूत सुविधा वाली कम्पनियों के मामले में 30 प्रतिशत) या (ख) इक्विटी के 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो की दर से लाभांश का भुगतान करें। क्योंकि लाभांश सीपीएसई द्वारा अर्जित लाभों में से दिया जाना है उपरोक्त प्रावधान (क) का अनुपालन अर्थात् लाभ के निश्चित प्रतिशत का लाभांश के रूप में भुगतान संभव है। फिर भी उपरोक्त भाग (ख) का अनुपालन कर पाना हमेशा संभव नहीं है जैसाकि नीचे वर्णन किया गया है।

यह संभव है कि पीएटी इक्विटी के 20 प्रतिशत की बराबर की राशि से कम हो। यदि किसी को लाभांश का भुगतान जैसाकि डीपीई के दिशानिर्देशों में वर्णित हैं "जो पीएटी तथा इक्विटी के 20 प्रतिशत जो भी अधिक है" का भुगतान लाभांश के रूप में करना पड़ता है, कम्पनी को उसको पीएटी से अधिक का भुगतान करना पड़ेगा क्योंकि उसकी इक्विटी का 20 प्रतिशत पीएटी से अधिक है। उदाहरणार्थ 2010-11 में एनएचडीसी लिमिटेड की इक्विटी ₹ 1962.58 करोड़ तथा पीएटी ₹ 304.13 करोड़ की थी। डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार भाग (क) के अन्तर्गत लाभांश भुगतान अपेक्षा ₹ 91.24 करोड़ (पीएटी का 30%) बनती है तथा भाग (ख) के अन्तर्गत ₹ 392.52 करोड़ (इक्विटी का 20 प्रतिशत)। दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है कि भुगतान किए जाने वाला लाभांश उनसे अधिक होना चाहिए। इसलिए यदि एनएचडीसी को डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना है, उसे ₹ 392.52 करोड़ का भुगतान लाभांश के रूप में करना होगा। उसने हालांकि ₹ 304.13 करोड़ की ही पीएटी अर्जित किया। क्योंकि लाभांश लाभ में से बांटा जाना है; एनएचडीसी ₹ 304.13 करोड़ से अधिक का भुगतान कर ही नहीं सकती। इस प्रकार जैसाकि डीपीई के दिशानिर्देशों में अपेक्षित है यह ₹ 392.53 करोड़ के लाभांश का भुगतान नहीं कर सकती है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (मार्च 2013) कि व्यय विभाग ने अपने दिनांक 24.09.2004 के का.ज्ञा. के द्वारा सीपीएसईज द्वारा लाभांश घोषित करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किये हैं, जो सभी सीपीएसईज को अनुपालन हेतु प्रेषित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा बताया गया कि कंपनी अधिनियम की धारा 205 के अधीन वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ में से या पूर्व वित्त वर्षों के लाभ में से या दोनों में से लाभांश का भुगतान किया जायेगा।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकृत नहीं है क्योंकि यह सीपीएसई के लिए संभव नहीं हो सकता है कि वर्षों तक पूर्व वित्तीय वर्षों के लाभ में से लाभांश का भुगतान करता रहे ताकि "जो भी अधिक हो" खण्ड का अनुपालन किया जा सके। अतः डीपीई दिशानिर्देशों के दूसरे भाग अर्थात् इक्विटी के 20 प्रतिशत के बराबर लाभांश का भुगतान करने का अनुपालन करना हमेशा संभव नहीं था।

उपयुक्त के परिदृश्य में, डीपीई के लाभांश भुगतान दिशानिर्देशों में उस हद तक कमी है और उनको संशोधित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त डीपीई तेल/ढांचागत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा 30 प्रतिशत पैट का लाभांश के रूप में भुगतान करने की अपेक्षा करता है। तथापि अन्य कंपनियों के लिए उसे पैट का 20 प्रतिशत तक रखा गया है। 2011-12 के लाभ और किये गये भुगतान के

अनुसार, सभी कंपनियों के लिए 30 प्रतिशत के निर्धारित न्यूनतम लाभांश के भुगतान से शेयरधारकों का लाभांश और ₹ 869 करोड़ बढ़ जाता।

7.2.2 बोनस शेयर जारी करना

डीपीई ने अपने नवम्बर 1995 में जारी किये गये दिशानिर्देशों* पर नवम्बर 2011† में सीपीएसई द्वारा जारी बोनस शेयरों को जारी करने के लिए परिकल्पित प्रक्रिया पर फिर से जोर दिया। इन दिशानिर्देशों के अनुसार:

- सीपीएसईज़, जिनके पास अपनी प्रदत्त पूंजी के प्रति भारी आरक्षित निधियां हैं, उनको आरक्षित निधियों को पूंजी में परिवर्तित करने के लिए बोनस शेयर जारी करने चाहिए;
- सीपीएसईज़ को जारी बोनस शेयरों को समायोजित करने के लिए अपनी प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि करने पर विचार करना चाहिए; और
- प्रत्येक प्रशासनिक मंत्रालय अपने नियंत्रण के अधीन उद्यमों को निर्देश दे सकते हैं कि जिन सीपीएसईज़ की आरक्षित निधियां प्रदत्त पूंजी से तीन गुणा अधिक हैं, उनको बोनस शेयर जारी करने पर तत्काल विचार करना चाहिए।

बोनस शेयरों को जारी करने के संदर्भ में हमने देखा कि 31 सीपीएसईज़ में से आठ को बोनस शेयर जारी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उनकी प्रदत्त उनकी आरक्षित निधियों की तीन गुणा से कम थी। अन्य आठ सीपीएसई जो अन्य सीपीएसई की सहायक हैं, के मामले में, नियंत्रक कंपनी को बोनस शेयर जारी करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शेष 15 सीपीएसईज़ द्वारा बोनस शेयर जारी करना अपेक्षित था क्योंकि उनकी प्रदत्त पूंजी की तुलना में आरक्षित निधि अनुपात 1:3 से अधिक था। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि 15 सीपीएसईज़ में से 10 सीपीएसई ने पहले ही 2007-12 के दौरान बोनस शेयर जारी किये थे और तब भी उनका अनुपात अधिक था जैसे कि नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई	प्रदत्त पूंजी (मार्च 2012)	आरक्षित निधियां (मार्च 2012)	कितने गुणा आरक्षित निधियां थी	2007-12 के दौरान जारी बोनस शेयर्स
1.	एन्ट्रीक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	1.00	779.90	780	जारी नहीं किया गया
2.	गेल (इण्डिया) लिमिटेड	1268.48	20356.00	16	2008-09 में 2:1 के अनुपात में
3.	मोईल लिमिटेड	168.00	2273.31	14	अक्टूबर 2006 में 0.82706:1 और दिसम्बर 2009 के दौरान 5:1 के अनुपात में
4.	एमएमटीसी लिमिटेड	100.00	1321.40	13	अगस्त 2010 में 1:1 के अनुपात में जारी किया गया
5.	नेशनल एलुमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को)	1288.62	10426.46	8	मार्च 2011 में 1:1 के अनुपात में
6.	नेवेली लिगनाइट	1677.71	10362.18	6	जारी नहीं किया गया

* डीपीई ओ.एम. सं. डीपीई/12(6)/95-वित्त दिनांक 10 नवम्बर 1995

† डीपीई ओ.एम. सं. डीपीई/13(21)/1-वित्त दिनांक 25 नवम्बर 2011

	कॉरपोरेशन लिमिटेड				
7.	एनएमडीसी लिमिटेड	396.47	24009.89	61	कम्पनी ने मई 2008 में धारित प्रत्येक शेयर के लिए 2 बोनस शेयर आवंटित किये।
8.	एनटीपीसी लिमिटेड	8245.46	65045.71	8	जारी नहीं किया गया
9.	ऑयल इण्डिया लिमिटेड	240.45	17499.09	73	कम्पनी ने अप्रैल 2012 में धारित प्रत्येक 2 शेयरों के लिए 3 बोनस शेयर्स आवंटित किये।
10.	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी)	4277.80	108659.95	25	नवम्बर 2006 में 1:2 के अनुपात में और फरवरी 2011 में 1:1 के अनुपात में
11.	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	4629.73	18,858.05	4	जारी नहीं किया गया
12.	स्टील अथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	4131.00	35,681.00	9	जारी नहीं किया गया
13.	डी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एससीआई)	465.80	6,268.52	13	नवम्बर 2008 में 1:2 के अनुपात में
14.	इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड	9.90	1,733.04	175	अक्टूबर 2012 में 1:1 के अनुपात में
15.	कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	129.98	5,476.45	42	2008-09 में 1:1 के अनुपात में

यद्यपि 15 सीपीएसईज़ में से 10 ने 2007-12 के दौरान बोनस शेयर जारी किए, फिर भी उनकी आरक्षित निधियां उनकी प्रदत्त पूंजी से 3 गुणा अधिक है। अतः इन सीपीएसईज़ को डीपीई के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बोनस शेयर को कई बार और बड़े अनुपात में जारी करना चाहिए था। बोनस शेयर जारी करने के संबंध में सीपीएसईज़ के प्रबन्धन ने निम्नलिखित उत्तर दिए:

- गेल (इण्डिया) लिमिटेड ने बताया कि वित्तीय सलाहकार का मत था (फरवरी 2012) कि बोनस शेयर जारी करने के लिए समय उपयुक्त नहीं था;
- नालको ने बोनस शेयर जारी न करने के कारण 2008 की वैश्विक धन समस्या और उसके परिणामस्वरूप कीमतों और लाभ में कमी बताया;
- एनएमडीसी ने बताया कि इस्पात मंत्रालय से निर्देश प्राप्त होने पर 2008 में बोनस शेयर जारी किये;
- एनटीपीसी ने बताया कि कंपनी की क्षमता विस्तार योजनाओं के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए बोनस शेयर जारी करना व्यवहार्य नहीं होगा;
- ओएनजीसी ने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति 2011 के निर्देशानुसार बोनस शेयर जारी किये और डीपीई के दिशानिर्देशों के अननुपालन का कारण मंत्रालय से आरक्षित निधियों की पूंजी में परिवर्तित करने के संबंध में विस्तार और अनुपात के लिए निर्देशों के अभाव को बताया;
- पीजीसीआईएल ने XII योजना में इक्विटी निधियों में भारी आवश्यकताओं और निकट भविष्य में इक्विटी के माध्यम से निधियों को जुटाने को बोनस शेयर जारी न करना आरोपित किया;

- स्टील अथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के मामले में इस्पात मंत्रालय ने कंपनी के डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार बोनस शेयरों को जारी करने के संबंध में प्रस्ताव की जांच एवं अनुमोदन करने की सलाह दी परन्तु चल रहे आधुनिकीकरण/विस्तार योजना पर व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित निधियों के बहि प्रवाह के मद्देनज़र बोर्ड में इस पर विचार नहीं किया गया।
- एससीआई ने 2008 के बाद बोनस शेयर जारी न करने का कारण शिपिंग उद्योग में मंदी बताया।

मंत्रालय ने उत्तर में बताया (मार्च 2013) कि बोनस शेयर जारी करने के संबंध में सीपीएसईज के निदेशक बोर्ड द्वारा 10.11.1995 के डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी आधार, संवर्धित इक्विटी आदि सेवा की क्षमता में वृद्धि, सहित विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है। डीपीई ने दिनांक 25.11.2011 के का.ज्ञा द्वारा इन दिशानिर्देशों को फिर से दोहराया। इस विषय पर डीपीई के दिशानिर्देश 2012-13 के लिए एमओयू दिशानिर्देशों के तहत सीपीएसईज का निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक मानक है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तथ्य यही है कि दिनांक 25.11.2011 के डीपीई के का ज्ञा में समाविष्ट बोनस शेयरों को जारी करने के लिए डीपीई दिशानिर्देशों का 15 सीपीएसईज ने अनुपालन नहीं किया।

हमने आगे देखा:

- मार्च 2012 को एनट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के पास ₹ 1 करोड़ की प्रदत्त पूंजी थी जबकि उसकी आरक्षित निधि ₹ 779.90 करोड़ थी। फिर भी इसने बोनस शेयर जारी नहीं किये थे। प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2012) कि कंपनी ने सरकार के साथ बोनस शेयर जारी करने के मामले पर पत्र-व्यवहार किया था और उसे मौखिक रूप से सूचना दी कि चूंकि कम्पनी सामरिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में काम कर रही थी और इसकी कई परियोजनाएं इससे की सुविधाओं का प्रयोग करके कार्यान्वित की जा रही थी, अतः बोनस शेयर जारी करने के विचार पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था क्योंकि इसका प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड सकता था। तथापि भारत सरकार से कोई लिखित पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। यह स्पष्ट नहीं है कि भारत सरकार द्वारा बोनस शेयर पाने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर कैसे प्रभाव पडता।
- नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के मामले में कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2012-13 के एमओयू में बोनस शेयर जारी करना एक मानक के रूप में शामिल किया।
- एनटीपीसी लिमिटेड के मामले में वर्ष 2012-13 के लिए मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत निष्पादन मूल्यांकन के भाग के रूप में बोनस शेयर जारी करना शामिल किया।
- कन्टेनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के मामले में मंत्रालय ने कंपनी को बोनस शेयर जारी करने के बारे में निर्देश जारी किये।

एन्ट्रीक्स कारपोरेशन लिमिटेड (अंतरिक्ष विभाग), गेल (इण्डिया) लिमिटेड (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), एमएमटीसी लिमिटेड (वाणिज्य मंत्रालय) और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (कोयला मंत्रालय) ने 2007-12 के

दौरान अपने प्रशासनिक मंत्रालयों से बोनस शेयर जारी करने के बारे में कोई अनुदेश प्राप्त नहीं किये।

7.2.3 शेयरों की वापस खरीद

डीपीई ने दिनांक 26 मार्च 2012 को शेयरों को वापस खरीदने के लिए दिशानिर्देश जारी किये। इन दिशानिर्देशों* के अनुसार:

- सीपीएसईज़ को बाज़ार से धन जुटाने के लिए कम्पनी में निवेशक का निरन्तर हित बनाए रखने और कम्पनी की योग्यता के दीर्घावधि हित में उनको बाज़ार पूंजीकरण से बचाने के लिए अपने शेयरों को बाय बैंक करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना; और
- सीपीएसईज़ अपने संस्था के अन्तर्नियमों (एओए) संशोधित करेंगे ताकि शेयरों को वापस खरीदा जा सके, यदि ऐसा प्रावधान उनके अन्तर्नियमों में मौजूद नहीं हो।

इस संबंध में, हमने पाया कि:

ये प्रावधान आठ सीपीएसईज़*, जो अन्य सीपीएसईज़ की सहायक है, को लागू नहीं होंगे। इन प्रावधानों से पांच सीपीएसईज़ अर्थात एनएचडीसी लिमिटेड, एनट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड और न्यूकलियर पावर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड जिसमें भारत सरकार/राज्य सरकारों की 100 प्रतिशत इक्विटी धारिता है, पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ये प्रावधान 18 सीपीएसईज़ (परिशिष्ट XV) के लिए अधिक सुसंगत है। संस्था के अन्तर्नियमों (एओए) में 16 सीपीएसईज़ के मामले में शेयरों को वापस खरीदने का प्रावधान है और दो सीपीएसईज़ (एसजेवीएन लिमिटेड और केआईओसीएल लिमिटेड) के मामले में, प्रबन्धन शेयरों की वापस खरीद के लिए प्रावधान बनाने के लिए एओए को संशोधित करने की प्रक्रिया में है।

7.3 सीपीएसईज़ द्वारा नकदी उपयोग करने की योजनाएं

सीपीएसईज़ का एक निवेश नीति बनाने का उद्देश्य होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप इष्टतम प्रतिफल प्राप्त हो सके। सीपीएसईज़ ने विस्तार और विविधीकरण परियोजनाएं आरम्भ की हैं जिनमें वित्तपोषण की आवश्यकता है। मार्च 2012 तक समग्र तस्वीर नीचे प्रस्तुत की है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	नकद और बैंक शेष	अनुमानित योजनाएं	टिप्पणियां
1.	एनएमडीसी लिमिटेड	20,265.00	30,072.00	नियोजित परियोजनाएं
2. to 7.	कोल इण्डिया लिमिटेड और इसकी पांच सहायक कम्पनियां	54692.81	90,330.00	यथासमय सृजित आन्तरिक स्रोतों से पूर्ण रूप से वित्त पोषित करना प्रस्तावित है।

* डीपीई का ज्ञा सं. डीपीई/14(24)/2011-वित्त दिनांक 26 मार्च 2012

* आठ सीपीएसईज़ हैं: साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, नादर्न कोलफील्डस लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड, महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और द उडीसा मिनिरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड।

2013 की प्रतिवेदन संख्या 2

8.	कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	2762.00	6000.00		
9.	मोइल लिमिटेड	2,088.42	3,102.75		
10.	नेवेली लिगनाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड	3,329.10	40,278.00	नियोजित परियोजनाएं, यथासमय सृजित आन्तरिक स्रोतों तथा उधारी/नई इक्विटी जारी करके वित्त प्रेषित करना प्रस्तावित है।	
11.	मैंगलोर रिफानरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	2,234.72	6,138.63		
12.	ऑयल इण्डिया लिमिटेड	10,935.48	19,003.02		
13.	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	20,099.00	1,63,956.00		
14.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	344.73	92,860.00		
15.	नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड	1,680.57	1,053.36*		
16.	गेल (इण्डिया) लिमिटेड	931.33	29,963.93		
17.	एनएचडीसी लिमिटेड	1,707.00	2,000.00		
18.	एनएचपीसी लिमिटेड	6,003.97	29,000.00		
19.	पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	2,336.88	1,02,034.00		
20.	एसजेवीएन लिमिटेड	1,888.76	10,400.00		
21.	एनटीपीसी लिमिटेड	16,146.11	2,19,613.00		
22.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	2,068.34	11,183.00		
23.	केआईओसीएल लिमिटेड	1,464.54	3,080.00		
24.	दी ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	701.00	1,178.00		
25.	स्टील अथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	6,416.00	45,000.00		
26.	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड	4,168.35	14,233.00		
27.	न्यूक्लीयर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	5,160.55	5,460.00 ¹²		
28.	इरकोन इन्टरनेशनल लिमिटेड	2623.23	2,954		
29.	एन्ट्रीक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	989.04			कोई पूंजी व्यय योजना नहीं बनाई गई। नगदी की आंतरिक उत्पत्ति या परियोजना में नगदी के निवेश पर कोई प्रक्षेप नहीं किया गया।
30.	एमएमटीसी लिमिटेड	2,853.12			
31.	दी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	1,442.41			
	कुल	175,332.46	9,28,892.69		

* केवल 2012-13 के लिए योजना व्यय

जैसा कि उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि तीन सीपीएसईज़ (उक्त तालिका में क्र.सं. 29,30 और 31), को छोड़कर, अन्य सीपीएसईज़ ने परिभाषित किया है और नकद शेषों का उपयोग दर्शाते हुए भविष्य के लिए पर्याप्त पूंजी परिव्यय योजनाएं बनाई है।

28 सीपीएसईज़ से संबंधित अधिशेष नकदी के उपयोग के लिए योजनाओं का विवरण (परिशिष्ट XVI) में दिया गया है। कुछ आपत्तियां बाकी तीन सीपीएसईज़ के संबंध में उठाई गई हैं :

- एन्ट्रीक्स के निदेशक बोर्ड ने अन्य निवेश अवसरों पर विचार किया (जून 2009) जो कम्पनी के मुख्य उद्देश्यों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है जैसा कि सैटेलाईट प्राप्त करना, स्पेस क्राफ्ट में निवेश और सोलर सैल्स को विकसित करना आदि। तथापि, कम्पनी द्वारा कार्य की पहल नहीं की गई और इसका सावधि जमा और म्युचुअल फण्ड में निवेश जारी है। इसके अतिरिक्त, मार्च 2012 में एन्ट्रीक्स के ₹ 989 करोड़ नकदी और बैंक शेष में से ₹ 462 करोड़ रक्षा मंत्रालय से प्राप्त किए उपयोग न किए गए अग्रिम से संबंधित है।
- एमएमटीसी लिमिटेड के पास अधिशेष नकदी के उपयोग के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित दीर्घावधि योजना नहीं है। जैसे कि कम्पनी अधिशेष नकदी से संबंधित अनुमानों को तैयार नहीं करती, पांच वर्षों के दौरान, समीक्षा की जाने वाले पूंजी परिव्यय योजना को भी तैयार नहीं किया गया था।
31 मार्च 2012 को कम्पनी के पास ₹ 2,853.12 करोड़ नकदी और बैंक अधिशेष था। चूंकि, यहां "पूंजी परिव्यय योजना" का कोई तंत्र नहीं था, परियोजनाओं में नकदी की आंतरिक उत्पत्ति या नकदी के निवेश पर कोई प्रक्षेपण नहीं बनाया जा सका था।
- शिपिंग मंत्रालय के मैरीटाईम एजेंडा के अनुसार 2010-20 के दौरान शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के लिए प्रक्षेपित पूंजी परिव्यय योजना ₹ 26,716 करोड़ थी। बोर्ड ऑफ शिपिंग कार्पोरेशन ने शिपिंग उद्योग द्वारा अनुभव किए गए प्रचलित डाऊटर्न और एससीआइ के राजस्व उत्पाद पर इसके प्रभाव के कारण वर्ष 2012-13 के दौरान नए अधिग्रहण न करने का निश्चय किया (फरवरी 2012)।

7.3.1 ऋणों का पुनर्भुगतान

डीपीई ने अपने 14 दिसम्बर 1994 के दिशानिर्देशों* द्वारा सीपीएसईज़ को सुझाव दिया कि "पीएसई द्वारा निधियों का निवेश एक विशेष समयावधि के लिए विशेष ब्याज की दर पर नहीं करना चाहिए जबकि पीएसई उसी समयावधि के लिए अपनी आवश्यकताओं के लिए ब्याज के समान या उच्च दर पर उधार ले रहे हो"।

31 सीपीएसईज़ में से, 12 सीपीएसईज़ की मार्च 2012 तक भारी दीर्घावधि उधारी (₹ 1,500 करोड़ से अधिक) थी। 12 सीपीएसईज़ में से दो सीपीएसईज़ गेल (इंडिया) लिमिटेड और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने कम नकदी के कारण दीर्घावधि उधारी का सहारा लिया। दस सीपीएसईज़ में से छः सीपीएसईज़† (मुख्य रूप से बिजली क्षेत्र से संबंधित) ने उधारी का सहारा लिया क्योंकि उन्हें परियोजनाओं को निधियन 70:30 के ऋण-इक्विटी अनुपात में करना था और टैरिफ लागत प्लस

* डीपीई का ज्ञा सं. 4/6/94-वित्त दिनांक 14 दिसम्बर 1994

† नेवेली लिगनाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड; एनटीपीसी लिमिटेड; एनएचडीसी लिमिटेड; पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड; और एसजेवीएन लिमिटेड।

आधार पर नियंत्रित करनी थी। उस मामले में यदि कम्पनियों के पास उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को ऋण के पुनर्भुगतान के लिए प्रयोग किया जाता है तो टैरिफ में कमी के कारण कम्पनियों की लाभ प्रदता पर दोहरा प्रभाव और अतिरिक्त निधि लगाने से ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय की हानि होगी। अतिरिक्त निधियों पर घरेलू बाजार की ब्याज दर जो कि 6.75 से 11.95 प्रतिशत के बीच रहती है की तुलना में एसजेवीएन लिमिटेड से संबंधित उधारियों पर ब्याज की दर 2.76 से 4.01 प्रतिशत के बीच थी। एनएचपीसी लिमिटेड और पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अतिरिक्त ब्याज व्यय को बचाने के लिए अपने ऋणों का पहले ही भुगतान कर दिया था। (एनएचपीसी द्वारा ₹ 384.29 करोड़ और पावरग्रिड द्वारा ₹ 49.31 करोड़)।

बकाया चार सीपीएसईज़ के संबंध में 31 मार्च 2012 तक नकदी और बैंक शेष और दीर्घावधि ऋण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	रोकड और बैंक शेष	दीर्घावधि ऋण	टिप्पणियाँ
1.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	2,234.72	3,891.91	2011-12 के दौरान बैंकों में निवेश की गई निधियों की ब्याज दर 7.48 से 13.21 प्रतिशत के बीच थी। तथापि, उधारी का मुख्य हिस्सा एक और सीपीएसई ओएनजीसी से है, जोकि एमआरपीएल का मुख्य शेयर धारक है (71.62 प्रतिशत)।
2.	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	6,416.00	11,586.66	सेल ने 2007-08 के दौरान ₹ 89.50 करोड़ का अल्पावधि सावधिजमा किया जोकि 2011-12 तक बढ़ कर ₹ 2,903.59 करोड़ हो गया जिसके प्रति कम्पनी ने अवधि के दौरान ₹ 76.05 करोड़ से ₹ 2,646.00 करोड़ के अल्पावधि ऋण 0.48 से 1.06 प्रतिशत के बीच के ब्याज की उच्च दर पर प्राप्त किया।
3.	शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,442.41	5,525.78	कम्पनी 80:20 के ऋण इक्विटी अनुपात का अनुसरण कर रही थी। यूएसडी ऋण के लिए कम्पनी द्वारा दत्त ब्याज की दर 0.22 से 2.80 प्रतिशत के बीच थी और रूपयों के ऋण के लिए 6.25 से 10.75 प्रतिशत थी। जबकि अर्जित ब्याज 1 से 13.60 प्रतिशत के बीच था। तथापि, उधारी दीर्घावधि के लिए कम से कम 10 वर्ष के लिए थी जबकि अतिरिक्त निधियों का निवेश 18 से 359 दिनों के लिए था। इसलिए दत्त और अर्जित ब्याज की तुलना नहीं की जा सकी।
4.	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5,160.55	14,453.89	विदेशी तकनीक और रिक्टर परियोजनाओं को लगाने के लिए आवश्यक भारी पूंजी के लिए निधि लगाने के लिए कम्पनी निधि के लिए भारतीय बैंको और रूस पर निर्भर कर रही थी जिसकी प्रस्तावित मूल कीमत निर्धारण के समायोजन के बाद ब्याज अस्थायी दरों पर आधारित था।

निष्कर्षत, सामान्यतया सीपीएसईज़ के पास अतिरिक्त नकदी के उपयोग के लिए योजना होती है।

7.4 निवेश नीति

डीपीई ने अपने 27 जून 1994* और 14 दिसम्बर 1994 के दिशानिर्देशों में सुझाव दिया कि:

- निवेश नीतियाँ स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए;
- निवेश अधिकतम सुरक्षा वाली योजनाओं में ही किया जाना चाहिए;
- अधिशेष उपलब्धता सीपीएसईज़ द्वारा निधियों की उपलब्धता के सही अनुमान तैयार करके बनाई जा सकती है और प्रशासनिक मंत्रालय को सूचित रखा जा सकता है; और
- सभी गैर-वित्तीय सीपीएसईज़ के बोर्ड निदेशकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि निधि के निवेश से संबंधित निर्णय पारदर्शी हो और ये केवल प्रत्यायुक्त प्राधिकारी द्वारा लिए गए हो और ऐसे उचित प्राधिकार की निगरानी बोर्ड द्वारा की जाती है।

7.4.1 नीति का अस्तित्व

इस संबंध में हमने देखा कि 9* सीपीएसईज़ के संबंध में कोई विशेष निवेश नीति नहीं थी। वे अधिशेष निधि के निवेश के लिए दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हैं। अन्य सीपीएसईज़ की निवेश नीति साधारणतः (i) उत्तरदायित्व और प्राधिकरण; (ii) बैंक ब्याज कार्ड दर प्राप्त करने के लिए मानदण्ड (iii) अधिशेष निधि और निवेश तिथि को निश्चित करने की प्रक्रिया; (iv) निवेश सैल के कार्य; (v) निवेश प्रस्तावों की सिफारिश के लिए प्रक्रिया; (vi) भुगतान उन्मुक्ति के लिए अनुमोदन आदि पर केन्द्रित होती है।

7.4.2 निवेश के लिए उप-समिति का गठन

दिनांक 27 जून 1994 के डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार एक वर्ष की परिपक्वता के लिए लघु अवधि निधियों के निवेश सहित निवेश पर निर्णय पदनामित निदेशक (को) जिसमें निश्चित रूप से सीएमडी और निदेशक (वित्त)/वित्त प्रमुख शामिल हो, को निवेश की निर्धारित सीमा तक दिया जा सकता है। जहाँ ऐसा प्रतिनिधिमण्डल बनाया गया हो वहाँ प्रतिनिधि क्रम को प्रत्येक अधिकारी के अनुमोदन और शक्ति स्तर को स्पष्ट आउट किया जाना चाहिए जिसका दृढ़ता से अनुपालन करना चाहिए।

* डीपीई ओ.एम. डीपीई/4/3/92-वित्त दिनांक 27 जून 1994

* एसजेवीएन लिमिटेड; मोडल लिमिटेड; ऑयल इंडिया लिमिटेड एण्ड उडिसा मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (मार्च 2012 तक); एमएमटीसी लिमिटेड; द शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड; केआईओसीएल लिमिटेड; एनएमडीसी लिमिटेड; एवं मंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड।

तथापि, निम्नलिखित चार सीपीएसईज़ के मामलों में हमने देखा कि शक्तियां केवल अध्यक्ष/निदेशक (वित्त) में केन्द्रित थी और डीपीआई द्वारा वांछित किसी उप-समिति का गठन नहीं किया गया था।

- मोडल लिमिटेड;
- एमएमटीसी लिमिटेड;
- इरकोन इन्टरनेशनल लिमिटेड; और
- केआईओसीएल लिमिटेड।

7.4.3 निवेश की रचना

31 सीपीएसईज़ के निवेश की रचना इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

	नकदी	बैंक/एफडी	सरकारी बाँड आदि	इक्विटी एवं म्युचुअल फंड	निगम जमा	विविध	कुल
31 मार्च 2012 तक निवेश	948	1,72,166	12,162	40,076	7,589	747	2,33,688
कुल का %	0.4	73.7	5.2	17.2	3.2	0.3	100

डीपीई के दिनांक 11 अप्रैल 2008[†] को जारी निर्देशानुसार, अधिशेष निधि के निवेश के संबंध में स्पष्ट है कि “मंत्रालय/विभाग/अन्य एजेंसियों के अन्तर्गत कम से कम निधियों के 60 प्रतिशत तक को सार्वजनिक क्षेत्र बैंको (पीएसबीज़) में रखा जाना चाहिए”।

हमने देखा कि:

- सभी सीपीएसईज़ ने अपनी निधियों के कम से कम 60 प्रतिशत को सार्वजनिक क्षेत्र बैंको में निवेश किया।
- एन्ट्रीक्स ने वर्ष 2007-12 के दौरान फ्लैक्सी जमा में परिवर्तित किए बिना भारतीय स्टेट बैंक और केनरा बैंक के चालू खातों में कुछ शेष रखा जिससे उन्हें कुछ ब्याज अर्जित को सकता था जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 2.66 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने सीमा से अधिक अवधि तक निधियों को बेकार रखा, दिसम्बर 2001 में यूरो/डालर* खाते में यूएसडी 1 मिलियन निर्धारित रखा गया। प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2012) कि सीमाओं के लिए बोर्ड पुनरीक्षा को रखते हुए कम्पनी ने विदेश मुद्रा शेष को भारतीय रूपये में तब परिवर्तित किया जब निधियों की तुरन्त आवश्यकता नहीं थी या दर उचित थी। तथ्य यही है कि कम्पनी ने निर्दिष्ट सीमा से अधिक रोकड़ रखा हुआ था।

[†] डीपीई ओ.एम. डीपीई/11(47)/2006-वित्त दिनांक 11 अप्रैल 2008

* एन्ट्रीक्स ने राशि को एक्सचेंज अरनरज़ फोरन करंसी खाते में रखा, जो कि एक शून्य ब्याज धारित खाता है।

- कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की एक इकाई नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एनईसी) मारगेरीटा, असम, का छः बैंकों के साथ लेन देन हैं। एनईसी ने शुरू से ही केवल पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ किन्तु अन्य बैंकों के साथ दिसम्बर 2010 से स्वतः समायोजन व्यवस्था प्रारंभ की। सीआईएल ने दिसम्बर 2010 तक पीएनबी के अलावा अन्य बैंकों से रखे गए शेष पर कोई ब्याज अर्जन नहीं किया और पीएनबी के मामले में, ब्याज दर स्वतः समायोजन दर तक सीमित थी जो कि अल्पावधि जमा पर ब्याज से कम था। इस कारण सीआईएल को अप्रैल 2009 से मार्च 2012 तक ₹ 9.96 करोड़ की अनुमानित हानि हुई। मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2013) में बताया कि मामला कोयला मंत्रालय को उनकी टिप्पणी/स्पष्टीकरण हेतु संदर्भित है।

7.4.4 अनुमान तैयार करना और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की गणना

निवेश का निर्णय लेने से पहले निवेश की प्रत्येक अवस्था में अधिशेष का अनुमान किया जाना चाहिए जिससे जमा की पूर्व परिपक्व वापसी या उच्च दरों पर नकदी ऋण लेने की परिस्थितियों से बचा जा सके।

निम्नलिखित तीन सीपीएसईज़ के संबंध में, हमने पाया कि निवेश का निर्णय लेने में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था:

- एन्ट्रीक्स कारपोरेशन लिमिटेड के पास कार्यशील पूंजी की आवश्यकता तैयार करने की प्रणाली नहीं थी।
- एमएमटीसी लिमिटेड में निवेश की प्रत्येक अवस्था में अधिशेष नकदी की गणना अलग से नहीं की गई थी।
- केआईओसीएल लिमिटेड में निवेश का निर्णय करते समय कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की गणना नहीं की गई और रिकार्ड में नहीं रखा गया।

7.4.5 निवेश की सुरक्षित अभिरक्षा और प्रत्यक्ष सत्यापन

निवेश को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए और धोखाधड़ी से बचने के लिए समय समय पर स्वामित्व और प्रत्यक्ष उपस्थिति का सत्यापन किया जाना चाहिए। सत्यापित किए जाने वाले दस्तावेजों में (i) सावधि जमा/मियादी जमा प्राप्तियाँ (ii) निवेश की इलैक्ट्रॉनिक नियंत्रण दर्शाते बैंकों के खाता के विवरण इत्यादि। सभी सीपीएसईज़ के मामले में निवेश की सुरक्षित अभिरक्षा की व्यवस्था है।

मोइल लिमिटेड, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को छोड़कर 28 सीपीएसईज़ के मामले में स्वामित्व के आवधिक प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली मौजूद है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के मामले में, सभी निवेश नियंत्रण कम्पनी ओएनजीसी द्वारा किए और आयोजित किए जाते थे। तथापि, मोइल लिमिटेड और नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड के मामले में, निवेश के स्वामित्व के प्रत्यक्ष सत्यापन का कोई रिकार्ड नहीं था। मोइल के प्रबन्धन ने आश्वासन दिया कि निवेश का आवधिक प्रत्यक्ष सत्यापन आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा।

7.4.6 अर्न्त-निगम ऋण में निवेश

डीपीई ने 14 दिसम्बर 1994 के अपने दिशानिर्देशों और 1 नवम्बर 1995 के स्पष्टीकरणों द्वारा अर्न्त-निगम ऋणों में निवेश से संबंधित निर्देश जारी किए थे। इन दिशा निर्देशों के अनुसार:

- अर्न्त-निगम ऋण केवल सीपीएसईज़ को दिया जाना अनुमत हैं, जिन्होंने उस अवधि के लिए ऋणों के लिए स्थापित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा उच्चतम क्रेडिट रेटिंग प्राप्त कर ली हो
- सीपीएसईज़ केवल ऐसी रेटिंग के आधार पर निधि निवेश कर सकते हैं।

31 मार्च 2012 तक, पांच सीपीएसईज़ द्वारा अर्न्त-निगम जमा (आईसीडीज़) में ₹ 7,589 करोड़ का निवेश किया था। यह 31 सीपीएसईज़ द्वारा किए गए कुल निवेश का केवल 3.2 प्रतिशत बनता था। ओएनजीसी ने उच्चतम क्रेडिट रेटिंग वाले सेन्ट्रल "नवरत्न" पीएसईज़ के अर्न्त-निगम ऋण में ₹ 3000 करोड़ का निवेश किया था। साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, नार्थरन कोलफील्डस लिमिटेड और महानदी कोलफील्डस लिमिटेड ने कोल इंडिया लिमिटेड में जमा के रूप में ₹ 4,144 करोड़ निवेश किया था। आयल इंडिया लिमिटेड ने आईसीडीज़ में ₹ 445 करोड़ निवेश किया था।

हमने आगे पाया कि कन्टेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹ 43.14 करोड़), गेल (इंडिया) लिमिटेड (₹ 79.35 करोड़), मैंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (₹ 600.98 करोड़), न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹ 300.00 करोड़) और नेशनल टेक्सटाइलस कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 77.16 करोड़) ने अपनी सहायक कम्पनियों/जेवी कम्पनियों/तेल उत्पादक कम्पनियों को ऋण दिया।

7.4.7 ट्रेज़री बिलों और भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश

डीपीई ने अपने 1 नवम्बर 1995 के का.ज्ञा. में स्पष्ट किया कि "सीपीएसईज़ अधिशेष निधियों के निवेश हेतु तीन वर्षों की परिपक्वता अवधि के लिए ट्रेज़री बिल और भारत सरकार की प्रतिभूतियों का भी चयन कर सकती हैं"।

हमने पाया कि किसी भी सीपीएसईज़ ने ट्रेज़री बिलों में निवेश नहीं किया। हमने यह भी पाया कि मुख्य रूप से एनएचपीसी लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मैंगलौर रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, इस्कान इन्टरनेशनल लिमिटेड, कन्टेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड और महानदी कोलफील्डस लिमिटेड द्वारा ₹ 12,162 करोड़ की राशि का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों जैसे तेल बांड, बिजली बांड, राज्य विधुत बोर्ड बांड, भारतीय रेलवे वित्त निगम बांड इत्यादि में किया गया था।

7.4.8 म्युचुअल फंड और इक्विटी में निवेश

हमने पाया कि 21 सीपीएसईज़ ने ₹ 40,076 करोड़ तक का निवेश म्युचुअल फंड इक्विटी में किया था। यह 31 सीपीएसईज़ द्वारा किए गए कुल निवेश का 17.2 प्रतिशत था। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी सहायक कम्पनियों में इक्विटी के रूप में ₹ 6,319 करोड़ का निवेश किया; ओएनजीसी ने अपनी सहायक कम्पनियों में इक्विटी के रूप में ₹ 2,041, संयुक्त उद्यम (जेवीज़) एवं सहायकों में

₹ 509 करोड़ अन्य सीपीएसईज़ में ₹ 1,617 करोड़ का निवेश किया; ओएनजीसी विदेश ने पूर्ण स्वामित्व/ आशिक रूप से स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों और संयुक्त इकाइयों में इक्विटी के रूप में ₹ 13,736 का निवेश किया; एनटीपीसी लिमिटेड ने अपनी सहायक कम्पनियों/जेवी में इक्विटी के रूप में ₹ 4,673 करोड़ का निवेश किया और गेल (इंडिया) लिमिटेड ने सहायक कम्पनियों/जेवी/सहायकों में इक्विटी के रूप में ₹ 3,539 करोड़ का निवेश किया। इस प्रकार, सीपीएसईज़ द्वारा निवेश किया गया अधिकतर धन दीर्घकालिक परिसम्पतियों के सृजन के लिए था।

म्युचुअल फंडों में निवेश सेबी विनियमित सार्वजनिक क्षेत्र म्युचुअल फंडों में डीपीई के दिनांक 31 अगस्त 2007*, 15 अप्रैल 2008† और 12 जनवरी 2009* के अपने दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया था। जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि म्युचुअल फंडों में निवेश किया जा सकता है बशर्ते संबंधित सीपीएसई द्वारा ऐसी योजनाओं में उपलब्ध अधिशेष निधियों का निवेश 30 प्रतिशत से अधिक न हो।

7.5 बोर्ड द्वारा अभिशासन और मंत्रालय द्वारा निरीक्षण

7.5.1 बोर्ड द्वारा नियंत्रण

निदेशक बोर्ड कम्पनी के निष्पादन के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है और कम्पनी में निवेश के निर्णयों पर सुझाव देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीपीएसईज़ अधिशेष निधियों के निवेश के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन करती हैं और उनके पास नकदी के उपयोग के लिए योजना भी है। हमने पाया कि एन्ट्रीक्स कारपोरेशन लिमिटेड के मामले में हालांकि बोर्ड ने कम्पनी को निवेश में विविधता के लिए कार्रवाई शुरू करने के निर्देश (जून 2009) दे दिए थे, प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई और बोर्ड ने इस पर कोई फीडबैक नहीं लिया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2013) में बताया कि मामला अंतरिक्ष विभाग को उनकी टिप्पणी हेतु भेजा गया है।

7.5.2 मंत्रालय द्वारा निरीक्षण

प्रशासनिक मंत्रालय उनके साथ सीपीएसईज़ द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से सीपीएसईज़ के निष्पादन की मॉनिटरिंग करते हैं। सीपीएसईज़ प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रेषित डीपीई दिशानिर्देशों का पालन करती हैं और उनके पास अधिशेष रोकड के उपयोग के लिए पर्याप्त योजनाएं होती हैं। निम्न को छोड़कर बोर्ड द्वारा नियंत्रण या मंत्रालय द्वारा निरीक्षण से संबंधित कोई बड़े मुद्दे नहीं हैं:

* डीपीई ओ.एम. सं. डीपीई/11/47/2006-वित्त दिनांक 31 अगस्त 2007

† डीपीई ओ.एम. सं. डीपीई/11/47/2006-वित्त दिनांक 15 अप्रैल 2008

* डीपीई ओ.एम. सं. डीपीई/11(15)/08 -वित्त दिनांक 12 जनवरी 2009

- 15 सीपीएसईज़, जिनका रिज़र्व उसकी प्रदत्त पूंजी से तीन गुना से अधिक था ने बोनस शेयर जारी नहीं किए जैसा कि डीपीई द्वारा निर्धारित था और यह भी पाया गया कि पैरा 7.2.2 में संदर्भित पाँच सीपीएसईज़ को कवर करने वाले पाँच मंत्रालयों ने 2007-12 के दौरान सीपीएसईज़ को बोनस शेयर जारी करने के लिए कोई अनुदेश जारी नहीं दिए।
- इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा शेयरों को वापस खरीदने के मुद्दे पर भी कोई विशिष्ट अनुदेश जारी नहीं किए गए थे।

7.6 निष्कर्ष

- नमूने के अनुसार सीपीएसईज़ ने सामान्य तथा डीपीई दिशानिर्देशों का पालन किया और उनके पास अधिशेष नकदी के उपयोग के लिए पर्याप्त योजनाएं हैं। 30 सीपीएसईज़ ने ₹ 34,500 करोड़ के कुल लाभांश का भुगतान किया है (2011-12 में 38 प्रतिशत लांभांश भुगतान अनुपात)।
- 15 सीपीएसईज़ के मामले में रिज़र्व उनकी प्रदत्त पूंजी से तीन गुना अधिक था। तथापि, डीपीई द्वारा अपेक्षित बोनस शेयर जारी नहीं किए गए थे। इन 15 सीपीएसईज़ में से 5 ने बोनस शेयर बिल्कुल भी जारी नहीं किए। 10 सीपीएसईज़ के मामले में, बोनस शेयर जारी करने के बाद भी उनके रिज़र्व उनकी प्रदत्त पूंजी से तीन गुना अधिक बने रहे। वे डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार बोनस शेयर के मुद्दे पर विचार कर सकते हैं। 18 सीपीएसईज़ के मामले में वापिस खरीदने के विकल्प पर विचार करने की आवश्यकता है।
- सीपीएसईज़ डीपीई द्वारा निर्धारित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में निवेश करते रहें हैं क्योंकि इन बैंकों को अधिक सुरक्षित समझा जाता है। यद्यपि, डीपीई ने नवरत्न/मिनिरत्न सीपीएसईज़ द्वारा म्यूचुअल फंडों में 30 प्रतिशत से अधिक निर्धारित किया है परन्तु यह देखा गया कि सीपीएसईज़ म्यूचुअल फंडों में केवल एक अल्प राशि निवेश करने में रूढ़ीवादी हैं।

7.7 सिफारिशें

- डीपीई को पैरा 7.2.1-लाभांश का भुगतान "20% पीएटी तथा 20% इक्विटी - जो भी अधिक हो, " में बताई गई त्रुटियों के समाधान से संबंधित अपने लाभांश भुगतान दिशानिर्देशों में संशोधन पर विचार करना चाहिए।
- 15 सीपीएसईज़ पहले ही बोनस शेयर जारी करने में चूक कर चुके हैं। डीपीई को प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श से शेयरों की वापिस खरीद पर डीपीई के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को मानिटर करना चाहिए।

नई दिल्ली
दिनांक: 28 मार्च, 2013

अमित कुमार पटनायक

(ए. के. पटनायक)
उप-नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 1 अप्रैल, 2013

विनोद राय

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

